राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान जयपुर

क्रमांक प–1(1)(जी–72)निकृ/ग्रुप–6/ 2552–2727 दिनांकः– 17/11/17

निदेशक, श्याम दुर्गापुरा, जयपुर।
संयुक्त निदेशक उद्यान (मुख्यालय) राज0 जयपुर ।
संयुक्त निदेशक कृषि(वि0)जयपुर/भरतपुर/सीकर/कोटा/भीलवाडा/जोधपुर/उदयपुर/बीकानेर/ जालौर ।
समस्त मुख्यकार्यकारी अधिकारी जिला परिषद।
समस्त उप निदेशक कृषि जि0प0/उद्यान/सि0क्षै0वि0,इगानप।
समस्त उप निदेशक कृषि एवं पदेन परि0 निदेशक (आत्मा)
उप निदेशक कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र कोटा।
उप निदेशक कृषि (गु0नि0) आहरण वितरण अधिकारी मु0 जयपुर ।
समस्त सहायक निदेशक कृषि (वि0/उद्यान ।
सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/सम्बन्धित अधिकारी।

विषयः– सहायक कृषि अधिकारी से कृषि अधिकारी सैक्शन–I (विस्तार) कनिष्ठ पद पर पदोन्नति उपरान्त वेतन निर्धारण पश्चात आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत करने के सम्बन्ध में ।
प्रसंगः– निदेशालय के पत्र क्रमांक प–1(1)(72)निकृ/ग्रुप–6/10896–942 दिनांक 30.01.2017

उपरोक्त प्रसांगिक पत्र के द्वारा विषयान्तर्गत प्रकरण में वित्तीय सलाहकार कृषि की टिप्पणी अनुसार विभाग में वर्ष 2015–16 में सहायक कृषि अधिकारी से कृषि अधिकारी के पद पर पदोन्नत कार्मिकों को उच्च वेतनमान के न्यूनतम वेतन पर स्थिर करने के कारण दो अधिक वेतन वृद्धियों का लाभ होने पर राजस्थान सेवा नियमों के नियम 31 के अनुसार एक वर्ष बाद वेतन वृद्धि स्वीकृत करने हेतु दिशा निर्देश जारी कर आपके अधीन कार्यरत पदोन्नत कृषि अधिकारियों के वेतन स्थिरीकरण प्रकरणों का परीक्षणोपरान्त संशोधित वेतन निर्धारण कर अधिक वेतन भुगतान की वसूली सम्बन्धित कार्मिक से करने हेतु लिखा गया था ।

तत्पश्चात वित्तीय सलाहकार कृषि द्वारा पत्रावली इस प्रकरण में मार्ग दर्शन हेतु वित्त विभाग को भेजी जाने पर उपरोक्त जारी दिशा निर्देशों को वित्त विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त होने तक निदेशालय के पत्र क्रमांक 11240–503 दिनांक 17.03.2017 द्वारा आस्थगित किया गया था।

प्रकरण में वित्त विभाग से प्राप्त राय/टिप्पणी अनुसार ''श्रीमती रेखा तीरगर,, श्री कैलाश चन्द, रंनिग पे बैण्ड में वेतन प्राप्त करते हुए स0कृ0अ0 के पद से कृषि अधिकारी के पद पर पदोन्नत हुए है । राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2008 के नियम 14 के प्रावधान के तहत वेतन वृद्धि हेतु रंनिग पे बैण्ड में 6 माह या इससे अधिक की सेवा होना आवश्यक है । यदि इनकी रंनिग पे बैण्ड में पदोन्नति पूर्व एवं पदोन्नति के पश्चात दोनों अवधियों को सम्मिलित करते हुये 6 माह से अधिक की सेवा पूर्ण की गई है, तो इन अधिकारियों की आगामी वेतन वृद्धि दिनांक 01.07.2015 अपरिवर्तित रहेगी ।

वित्त विभाग से प्राप्त राय के परिपेक्ष्य में श्रीमती रेखा तीरगर, श्री कैलाश चन्द एवं इनके समान सभी नियुक्त सहायक कृषि अधिकारियों (रंनिग पे–बैण्ड 2, 9300–34800 ग्रेड पे 4200) की कृषि अधिकारी के पद पर पदोन्नति रंनिग पे–बैण्ड में न होकर उच्चतर (रंनिग पे–बैण्ड 3, 15600– 39100 ग्रेड पे 5400) में वर्ष 2015–16 में दिनांक 01.04.2015 की रिक्ति के विरूद्ध होने पर रंनिग पे बैण्ड में दिनांक 01.04.2015 को मूल वेतन रू0 15300/– प्राप्त करने पर उच्चतर रंनिग पे बैण्ड में पदोन्नति पर रू0 21000 (न्यूनतम) पर वेतन निर्धारण फलस्वरूप दो से अधिक वेतन वृद्धियों का लाभ होने पर आगामी वेतन वृद्धि राज0 सेवा नियमो के नियम 31 के अनुसार 1 पूर्ण वर्ष के बाद स्वीकृत की जावेगी बावत आयुक्तालय के पत्रांक 555–68 दिनांक 16.05.2017 के द्वारा समस्त कार्यालयाध्यक्षों को लिखते हुये पत्र कमांक 10896–942 दिनांक 30.01.2017 के द्वारा दिये गये निर्देश अनुसार संशोधित वेतन निर्धारण कर अधिक वेतन भुगतान की राशि सम्बन्धित से वसूल करने हेतु लिखा गया था ।

प्रकरण में पुनः वित्त विभाग से प्राप्त राय को वित्तीय सलाहकार कृषि द्वारा स्पष्ट करते हुये यह टिप्पणी अंकित की है कि "राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2008 के नियम 5(5)में रंनिग पे–बैण्ड को परिभाषित किया है, उसके अनुसार अनुसूची–I के अनुभाग A के कॉलम संख्या 4 में अंकित रंनिग पे–बैण्ड है अर्थात इस अनुसूची में अंकित सभी चारो रंनिग पे–बैण्ड इसमें सम्मिलित है । अतः किसी भी रंनिग पे–बैण्ड में पदोन्नति से पूर्व एवं पश्चात 6 माह से अधिक सेवा होने पर वेतन वृद्धि दिनांक अपरिवर्तित रहेगी"।

अतः राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2008 के अन्तर्गत राजस्थान सेवा नियमो के नियम 31 प्रभाव में नहीं मानते हुये स0कृ0अ0 से कृषि अधिकारी के पद पर पदोन्नति पर वेतन निर्धारण पश्चात आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत करने के सम्बन्ध में आयुक्तालय के पत्र कमांक 10896–942 दिनांक 30.01.2017 तथा समसंख्यक पत्रांक 555–68 दिनांक 16.05.2017 द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देश एतद् द्वारा प्रत्याहरित किये जाते है। उक्त दिशा निर्देश प्रत्याहरित किये जाने के फलस्वरूप स0कृ0अ0 से कृषि अधिकारी के पद पर पदोन्नति पर वेतन निर्धारण पश्चात आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि अपरिवर्तित रहेगी ।

(सोमेन्द्र शर्मा)
संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)

कमांक प–1(1)(जी–72)निकृ/ग्रुप–6/ 2552-2727 दिनांकः– 17/11/17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव वित्त (नियम) विभाग राज0 जयपुर ।
2. संयुक्त शासन सचिव कृषि (ग्रुप–1) विभाग राज0 जयपुर ।
3. वित्तीय सलाहकार कृषि, मुख्यालय जयपुर ।
4. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर मुख्यालय जयपुर को कृषि विभाग की बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है ।

(सोमेन्द्र शर्मा)
संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)